झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
(श्रमायुकत का कार्यालय,FaxNo-0651-2481013,E-Mail-labcomjhr@gmail|com)

आदेश

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली 1972, के नियम-25 के उपनियम(2) के खण्ड (V) के उप खण्ड (b) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रमायुक्त, झारखण्ड द्वारा ठेका श्रमिकों के सेवा शर्तों एवं मजदूरी की दरों का निर्धारण किया गया है। पुनः विभागीय आदेश ज्ञापांक 1551 दिनांक 26.08.15 द्वारा ठेका श्रमिकों के मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। इस कोटि के कामगारों को उक्त नियम से संबंधित अनुलग्नक के प्रावधान-13 (iii) के आलोक में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2019 की तिथि से अधिसूचित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की देय होंगी।

अत: दिनांक 01-04-2019 की तिथि से उपर्युक्त नियम से आच्छादित ठेका श्रमिकों की दरें निम्नानुसार होगी:-

श्रमिकों की कोटि	दिनांक 26.08.15 से देय मजदूरी प्रतिमाह	दिनांक01.04.19 से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल
अकुशल	6550.00	1242.53	7792.53
अर्द्धकुशल	6860.00	1301.34	8161.34
कुशल	9120.00	1730.06	10850.06
अतिकुशल	10450.00	1982.36	12432.36

1.7.19

(राजीव अरुण एक्का)
प्रधान सचिव-सह-श्रमायुक्त,

ज्ञापांक:-1/ठे0म0अ0(श्रमा0)-08/2011श्र0नि0------1041------------राँची, दिनांक--03.07.19

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय प्रेस झारखण्ड,डोरन्डा, राँची-2 को सूचनार्थ एवं आगामी राजकीय गज़ट के अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-1/ठे0म0अ0(श्रमा0)-08/2011श्र0नि0------1041----------राँची, दिनांक--03.07.19

प्रतिलिपि:-मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव–सह–श्रमायुक्त, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव